उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-194/2019/2810/92-2-2019-86एम/2019

लखनऊ :: दिनांक:: 09 दिसम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ द्वारा दि0 11-11-2019 को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड/पीआईयू-उन्नाव के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में प्रखण्डीय कार्यालय की गतिविधियों एवं अधिकारियों/अभियंताओं की अनुपस्थिति के दृष्टिगत अधिशासी अभियंता का अपने अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति विफल होना पाया गया। साथ ही शासन की अति महत्वकांक्षी योजना त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति अत्यन्त निराशाजनक पाये जाने तथा कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी पाया जाना भी अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव के कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति शिथिलता व निराशाजनक कार्यशैली को दर्शाता है। इस प्रकार अधिशासी अभियंता द्वारा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3(1) (2) का उल्लंघन करने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री वीरपाल राजपूत, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, प्रखण्ड/पीआईयू0-उन्नाव के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा सहायक अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, प्रखण्ड/पीआईयू-उन्नाव को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-194/2019/2810(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-2029/ग्रा0अ0वि0/ निदे0-कैम्प/पत्रा0सं0-30/19-20 दि0 13-11-2019 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री वीरपाल के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर शासन को 03 दिन में उपलब्ध करायें।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड/पीआईयू-उन्नाव।

4- श्री वीरपाल राजपूत, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड/पीआईयू-उन्नाव द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।